कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 7376 /12–1 देहरादून, दिनांक 27 जून, 2024

सेवा में,

महाप्रबन्धक (तक0)
सह परियोजना निदेशक,
प0का0ई0–वसन्त विहार (देहरादून)।

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0–72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे (आसारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.050से कि0मी0 12.220 तक निर्माण के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–FP/UK/Road/140350/2021)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा उच्च स्तर से लगायी गयी कमियों का निराकरण की अपूर्ण सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। इसलिए आप निम्न बिंदुओं की सूचना तैयार कर प्रस्ताव को ऑफलाईन/ऑनलाईन इस कार्यालय को प्रेषित करें:–

1. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा छमरोली गांव में लगभग 25.400 है0 द्वारा गांव लगभग 15. 8790 है0 तथा मकड़ेती गांव में लगभग 14.6350 है0 वन भूमि चयनित की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थलों की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूरक वनीकरण का स्थल प्राक्कलन सहित एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से हस्ताक्षर सहित तैयार कर ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराये।
2. चयनीत वनीकरण स्थलों की डी0एस0एस0 कराकर मानचित्रों को ऑफलाईन/ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

अतः उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों पर निराकरण कर शीघ्र सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आपके द्वारा प्रेषित अपूर्ण अपलोड किये गये सूचना के कारण प्रस्ताव आपको आनलाईन वापस किये जा रहे हैं।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः– 7376 /12–1 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी को इस आशय से प्रेषित की उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा आपको क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि आवंटित की गयी है। इसलिए आप वर्णित क्षेत्रों की के0एम0एल0 फाईल एवं क्षतिपूरक वनीकरण का स्थल प्राक्कलन सहित एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।